न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–286/2019

CIS No.-TS 286/2019

दीपक कुमार तुलस्यान.....वादी

बनाम

श्रीमति स्मिता उत्तम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.11.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक 30.10.2025 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 24.11.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि टंकक की गलती से कुछ शब्द गलत टाईप हो गया है और कुछ तथ्य टाईप होना छुट गया है, जिसको वाद के सही निर्णय हेतु जोड़ना न्यायहित में आवश्यक है। टंकक की गलती से वाद पत्र के मद नं0–03 में एराजी सह तकरारी का विवरण दिया गया है जो अर्जी नालिश मद नं0–02 वाली भूमि का अंश भाग है, जिसमें एराजी सय तकरारी का दक्षिणी चौहद्दी में नीज वादी के बजाय संजय बंगाली टंकित हो गया लेहाजा दक्षिणी चौहद्दी में दर्ज शब्द ''संजय बंगाली को'' विलोपित करते हुए उनके स्थान पर नीज वादी दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र के पारा नं0–12 में दादरसी की याचना करते समय यह तथ्य टंकित होना छुट गया है कि लेहाजा दादरसी (क) के अंत के बाद दादरसी 1(क) को जोड़ना कि ''बैनामा दस्तावेज दिनांक 03.10.2009 नविस्ते बीबी हसन तारा बनाम उषा देवी को बैनामा दिनांक 26.11.2009 नविस्ते बीबी सुबेतारा खातुन बनाम उषा देवी वो बैनामा दस्तावेज दिनांक 27.01.2016 नविस्ते उषा देवी बनाम स्मिता उत्तम तीनों किता दस्तावेज अर्जी नालिश मद नं0–3 वाली भूमि के निस्वत रद्द वो बातिक किया जाए'' इसे जोड़ना वाद के निष्पादन हेतु आवश्यक है। पृष्ठ सं0–05 की दसवी पंक्ति में विक्रेता के स्थान पर बैदार शब्द अंकित होना छुट गया है और इसी पृष्ठ के बारहवी पंक्ति में बीबी हसन तारा का नाम अंकित करना छुट गया है। इसी पंक्ति में बैनामा का दिनांक देना और इसी पृष्ठ के ग्यारहवी पंक्ति में एक किता बैनामा दस्तावेज का तिथि दिनांक 03.10.2009 अंकित करना और कुछ अन्य शब्द अंकित करना और पारा नं0–11 में जो मुदई के दस्तावेज दिनांक 18.10.2009 अंकित है, उसके स्थान पर दिनांक	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–286/2019

CIS No.-TS 286/2019

दीपक कुमार तुलस्यान.....वादी

बनाम

श्रीमति स्मिता उत्तम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.11.2025	28.10.2009 अंकित करना और पारा नं0–12 के अनुतोष(क) के तीसरी लाईन में निर्माण के स्थान पर नींव अंकित हो गया है और अनुतोष(ख) के दूसरी पंक्ति में शब्द ''निर्माण'' के स्थान पर शब्द नीव गलत रूप से अंकित हो गया है। उपरोक्त वाद अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, इस तथ्य को जोड़ने वो काटने से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी को वाद पत्र में संशोधन करने कि अनुमति देने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से वादी के आदेवन दिनांक 30.10.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 07.11.2025 को दाखिल किया गया है और कहा गया है कि वादी द्वारा संशोधन हेतु दिया गया आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं है, बल्कि खारिज योग्य है। प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 01.03.2025 को दाखिल किए है। वादी को बैनामा दस्तावेजों की जानकारी पूर्व से ही है लेहाजा आवेदन में वर्णित दस्तावेजों को संशोधन के माध्यम से चुनौती देने का अधिकार समाप्त हो गया है। प्रस्तावित संशोधन से वाद के कारण और वाद के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। इस दृष्टिकोण से अगर संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी और न्याय से वंचित होने की संभावना हो जायेगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन पत्र विशेष खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दिनांक 30.10.2025 को आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है और निवेदन किया है कि टंकक की गलती से वाद पत्र में कुछ शब्द गलत टाईप हो गया है और कुछ तथ्य टाईप होना छुट गया है, जिस कारण वाद पत्र में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस हेतु संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी को वाद पत्र में संशोधन करने कि अनुमति प्रदान करें। प्रतिवादी सं0–01 ने अपने प्रतिउत्तर दिनांक 07.11.2025 में वादी के आवेदन को खारिज होने योग्य बताया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि आदेश 06	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–286/2019

CIS No.-TS 286/2019

दीपक कुमार तुलस्यान.....वादी

बनाम

श्रीमति स्मिता उत्तम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.11.2025	नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादी का आवेदन दिनांक 30.10.2025 अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 को मो0–500/– रू0 के हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि संशोधन के उपरान्त सरिस्तेदार का प्रतिवेदन की मांग करें। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वाद पत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 05.12.2025 को सरिस्तेदार के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	